

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर जिला भीलवाडा

लादु पिता कल्याण मीणा निवासी भाव का गुढा

बनाम

अम्बालाल पिता गांगा मीणा निवासी भाव का गुढा वगैरा

क्रम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल.आर.ए.

मुकदमा नं. 663/23

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हुये
-----------	------------------------------------	--


1.06.23

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम उदा का खेडा प.ह. बिजेटा की आराजी सं. 160/74 रकबा 0.8094 है। स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यक है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम उदा का खेडा प.ह. बिजेटा की आराजी सं. 160/74 रकबा 0.8094 है। भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलों को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा


सीडर/2023/663/2023

दिनांक :- 21.06.2023

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 663/2023. अनवान लादु पिता कल्याण मीणा निवासी भाव
दा तहसील जहाजपुर बनाम अम्बालाल पिता गांगा मीणा , कमला पत्नि कालू बलाई
पिता जगनाथ मीणा निवासी भाव का गुढा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम उदा का खेडा प.ह.
टा की आराजी सं. 160/74 रकबा 0.8094 है. भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति
पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलों को कमीशनर नियुक्त
या जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर
दा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौसन
हसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में
श करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)